अध्याय-3

सामान्य

3.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

3.1.1 वर्ष 2022-23 में हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व का त्वरित सारांश, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े ***तालिका 3.1*** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23[1]
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	कर राजस्व	42,581.34	42,824.95	41,913.80	53,377.16	62,960.80
	कर-भिन्न राजस्व	7,975.64	7,399.74	6,961.49	7,394.13	8,742.63
	योग	**50,556.98**	**50,224.69**	**48,875.29**	**60,771.29**	**71,703.43**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	8,254.60	7,111.53	6,437.59	9,722.16	10,378.00[2]
	सहायता अनुदान	7,073.54	10,521.91	12,248.13	7,598.24	7,113.26[3]
	योग	**15,328.14**	**17,633.44**	**18,685.72**	**17,320.40**	**17,491.26**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**65,885.12**	**67,858.13**	**67,561.01**	**78,091.69**	**89,194.69**
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**76.74**	**74.01**	**72.34**	**77.82**	**80.39**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

1 राज्य सरकार के वित्त लेखे।

2 इसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,932.91 करोड़ की राशि शामिल है।

3 इसमें वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,575.89 करोड़ की राशि शामिल है।

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति ***चार्ट 3.1*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.1: कुल राजस्व प्राप्तियां

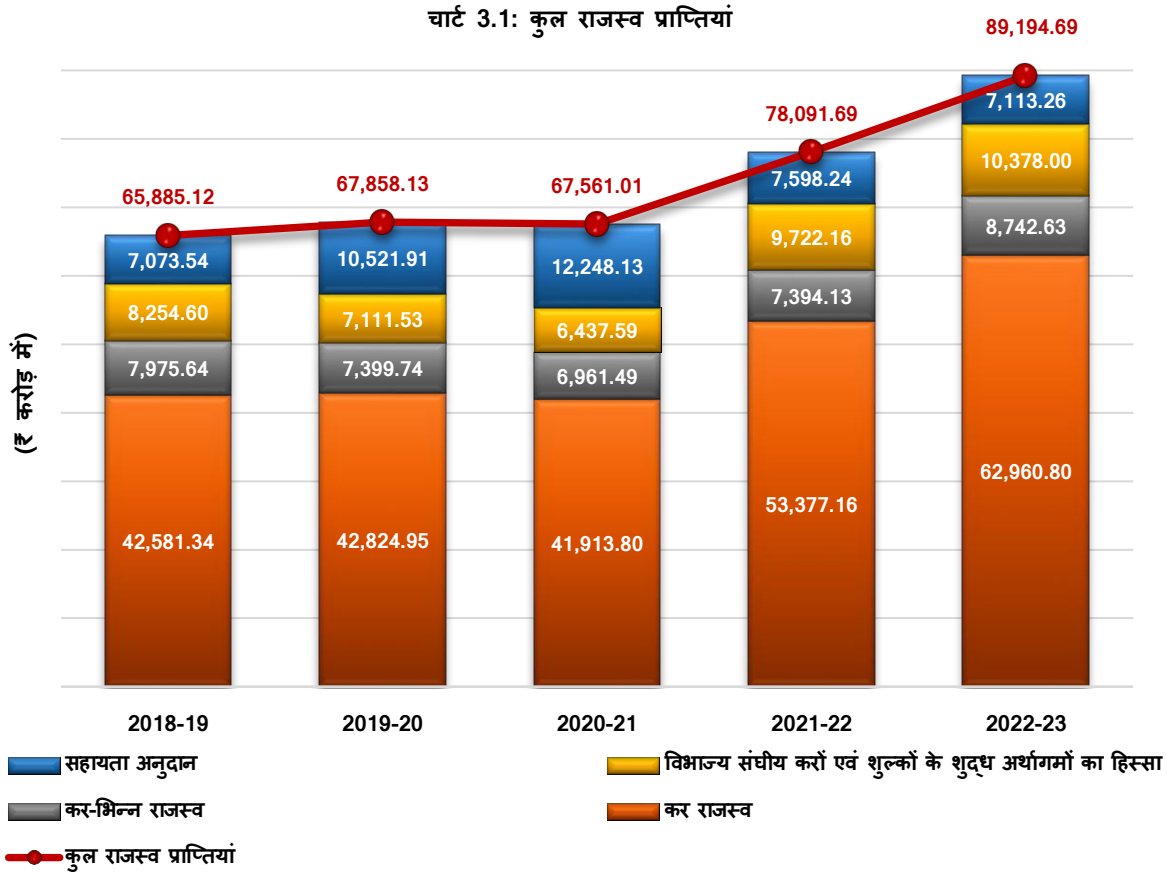

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 35.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 47.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई, भारत सरकार से सहायता अनुदान में 0.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विभाज्य संघीय करों और शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के हिस्से में 25.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 71,703.43 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 80.39 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्तियों का शेष 19.61 प्रतिशत राज्य का हिस्सा विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों तथा सहायता अनुदानों के रूप में भारत सरकार से मिला था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2018-19 में 76.74 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 80.39 प्रतिशत हो गई।

3.1.2 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण ***तालिका 3.2*** में दिए गए हैं।

तालिका 3.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 के वास्तविकों पर 2022-23 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	8,998.00 (21.13)	8,397.81 (19.61)	8,660.16 (20.66)	11,220.71 (21.02)	11,262.05 (17.89)	0.37
2.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	18,612.72 (43.71)	18,872.95 (44.07)	18,235.79 (43.50)	22,922.15 (42.94)	28,576.56 (45.39)	24.67
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	6,041.87 (14.19)	6,322.70 (14.76)	6,864.42 (16.38)	7,933.42 (14.86)	9,673.37 (15.36)	21.93
4.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	5,636.17 (13.23)	6,013.30 (14.04)	5,157.02 (12.30)	7,598.38 (14.24)	8,607.13 (13.67)	13.28
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	20.70 (0.05)	15.85 (0.04)	3.74 (0.01)	5.94 (0.01)	2.76 (0.00)	(-) 53.54
6.	वाहनों पर कर	2,908.29 (6.83)	2,915.76 (6.81)	2,495.08 (5.95)	3,264.61 (6.12)	4,231.20 (6.72)	29.61
7.	बिजली पर कर एवं शुल्क	336.92 (0.79)	262.01 (0.61)	476.07 (1.14)	404.36 (0.76)	578.00 (0.92)	42.94
8.	भू-राजस्व	19.19 (0.05)	20.68 (0.05)	16.60 (0.04)	21.29 (0.04)	22.43 (0.04)	5.35
9.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	7.48 (0.02)	3.89 (0.01)	4.92 (0.02)	6.30 (0.01)	7.30 (0.01)	15.87
	योग	**42,581.34**	**42,824.95**	**41,913.80**	**53,377.16**	**62,960.80**	**17.95**
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	**3.61**	**0.57**	**(-) 2.13**	**27.35**	**17.95**	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति ***चार्ट 3.2*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.2: एकत्रित कर राजस्व का विवरण

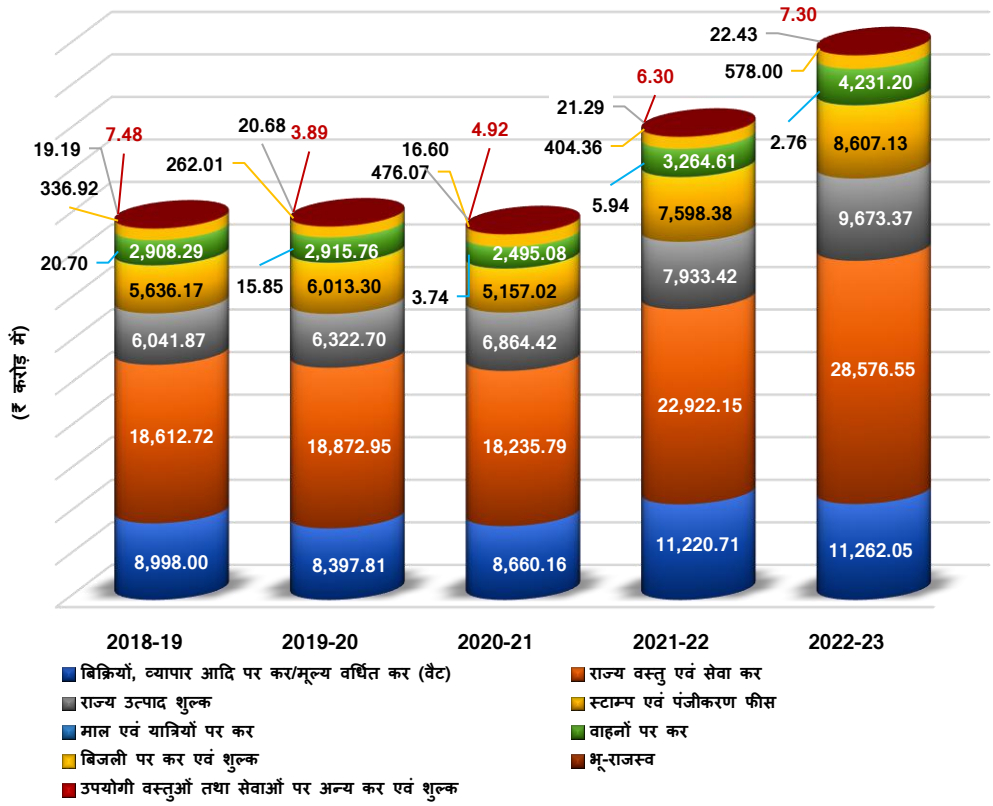

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कर राजस्व में ₹ 20,379.46 करोड़ (47.86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, इस अवधि के लिए औसत वृद्धि दर 9.47 प्रतिशत रही।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारण बताए:

- **बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट):** बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) राज्य बिक्री कर अधिनियम (डीजल/पेट्रोल दरों में वृद्धि) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण 2021-22 में ₹ 11,220.71 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर ₹ 11,262.05 करोड़ हो गया।

- **राज्य वस्तु एवं सेवा कर:** राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) और विनिर्माण के साथ-साथ सेवा क्षेत्र से अधिक प्राप्तियों के कारण राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्ति 2021-22 में ₹ 22,922.15 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर ₹ 28,576.56 करोड़ हो गई तथा कोविड के बाद के वर्ष में अच्छी वृद्धि प्रदर्शित हुई।

- **राज्य उत्पाद शुल्क:** उत्पाद शुल्क और लाइसेंस फीस की दरों में वृद्धि, अर्थात देसी शराब पर उत्पाद शुल्क 2022-23 में ₹ 66 प्रूफ लीटर से ₹ 74 प्रूफ लीटर होने और एल-1बीएफ लाइसेंस पर 2022-23 में ₹ एक करोड़ से ₹ चार करोड़ होने, के कारण राज्य उत्पाद शुल्क की प्राप्ति 2021-22 में ₹ 7,933.42 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर ₹ 9,673.37 करोड़ हो गई।

- **स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस**: अचल संपत्ति के दस्तावेजों के अधिक पंजीकरण (2021-22 में 6,81,206 से 2022-2023 में 7,40,810) के कारण स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस की प्राप्ति 2021-22 में ₹ 7,598.38 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर ₹ 8,607.13 करोड़ हो गई।

- **वाहनों पर कर:** नए वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि (2021-22 में 7,92,659 से 2022-2023 में 12,23,170) के कारण वाहनों पर कर की प्राप्ति 2021-22 में ₹ 3,264.61 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर ₹ 4,231.20 करोड़ हो गई।

- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** बिजली उपयोगिता के लिए उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की अधिक वसूली के कारण बिजली पर कर एवं शुल्क की प्राप्ति 2021-22 में ₹ 404.36 करोड़ की तुलना में 2022-23 में बढ़कर ₹ 578.00 करोड़ हो गई।

3.1.3 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण ***तालिका 3.3*** में इंगित किए गए हैं।

तालिका 3.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 के वास्तविकों पर 2022-23 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	ब्याज प्राप्तियां	1,953.84 (24.50)	1,974.86 (26.69)	1,561.74 (22.43)	1,378.23 (18.64)	1,464.09 (16.75)	6.23
2.	सड़क परिवहन	1,196.64 (15.00)	1,114.51 (15.06)	585.38 (8.41)	1,077.44 (14.57)	1,333.43 (15.25)	23.76
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	272.17 (3.41)	457.94 (6.19)	595.47 (8.55)	220.11 (2.98)	677.73 (7.75)	207.91
4.	शहरी विकास	2,315.60 (29.03)	1,855.51 (25.08)	1,953.92 (28.06)	1,240.74 (16.78)	1,284.24 (14.69)	3.51
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	583.20 (7.31)	702.25 (9.49)	1,020.95 (14.67)	837.77 (11.33)	834.41 (9.54)	(-) 0.40
6.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	164.19 (2.06)	171.74 (2.32)	209.67 (3.01)	232.10 (3.14)	360.11 (4.12)	55.15
7.	पुलिस	176.96 (2.22)	179.84 (2.43)	53.51 (0.77)	87.39 (1.18)	90.25 (1.03)	3.27
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	159.93 (2.01)	107.89 (1.46)	65.62 (0.94)	87.83 (1.19)	155.02 (1.77)	76.50
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	28.53 (0.36)	23.07 (0.31)	19.97 (0.29)	16.73 (0.23)	21.27 (0.24)	27.14
10.	विविध सामान्य सेवाएं [4]	166.03 (2.08)	62.96 (0.85)	131.69 (1.89)	283.99 (3.84)	102.75 (1.18)	(-) 63.82
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	195.70 (2.45)	171.89 (2.32)	197.19 (2.83)	221.87 (3.00)	472.53 (5.40)	112.98
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	762.85 (9.56)	577.28 (7.80)	566.38 (8.14)	1,709.93 (23.13)	1,946.80[5] (22.27)	13.85
योग		**7,975.64**	**7,399.74**	**6,961.49**	**7,394.13**	**8,742.63**	**18.24**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

[4] अस्वामिक जमा, भूमि तथा संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

[5] लाभांश एवं लाभ - ₹ 192.00 करोड़, लोक सेवा आयोग - ₹ 18.80 करोड़, जेल - ₹ 2.46 करोड़, आपूर्ति एवं निपटान - ₹ 2.42 करोड़, स्टेशनरी एवं मुद्रण - ₹ 0.50 करोड़, लोक निर्माण - ₹ 33.06 करोड़, पेंशन के लिए अंशदान और वसूली - ₹ 42.75 करोड़, परिवार कल्याण -₹ 0.07 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता - ₹ 66.92 करोड़, आवास - ₹ 11.51 करोड़, सूचना एवं प्रचार - ₹ 0.27 करोड़, श्रम एवं रोजगार - ₹ 42.99 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - ₹ 63.06 करोड़, अन्य सामाजिक सेवाएं - ₹ 0.39 करोड़, फसल पालन - ₹ 0.92 करोड़, पशुपालन - ₹ 3.46 करोड़, डेयरी विकास - ₹ 0.01 करोड़, मछली पालन - ₹ 4.56 करोड़, खाद्य भंडार एवं भंडारण - ₹ 1.11 करोड़, सहकारिता - ₹ 10.12 करोड़, अन्य कृषि कार्यक्रम - ₹ 2.41 करोड़, भूमि सुधार - ₹ 0.01 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - ₹ 1,345.34 करोड़, लघु सिंचाई - ₹ 0.02 करोड़, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा -₹ 0.01 करोड़, ग्रामीण एवं लघु उद्योग - ₹ 2.33 करोड़, उद्योग - ₹ 9.08 करोड़, नागरिक विमानन - ₹ 16.48 करोड़, सड़क एवं पुल - ₹ 43.38 करोड़, पर्यटन - ₹ 0.98 करोड़ तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - ₹ 28.88 करोड़।

चार्ट 3.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

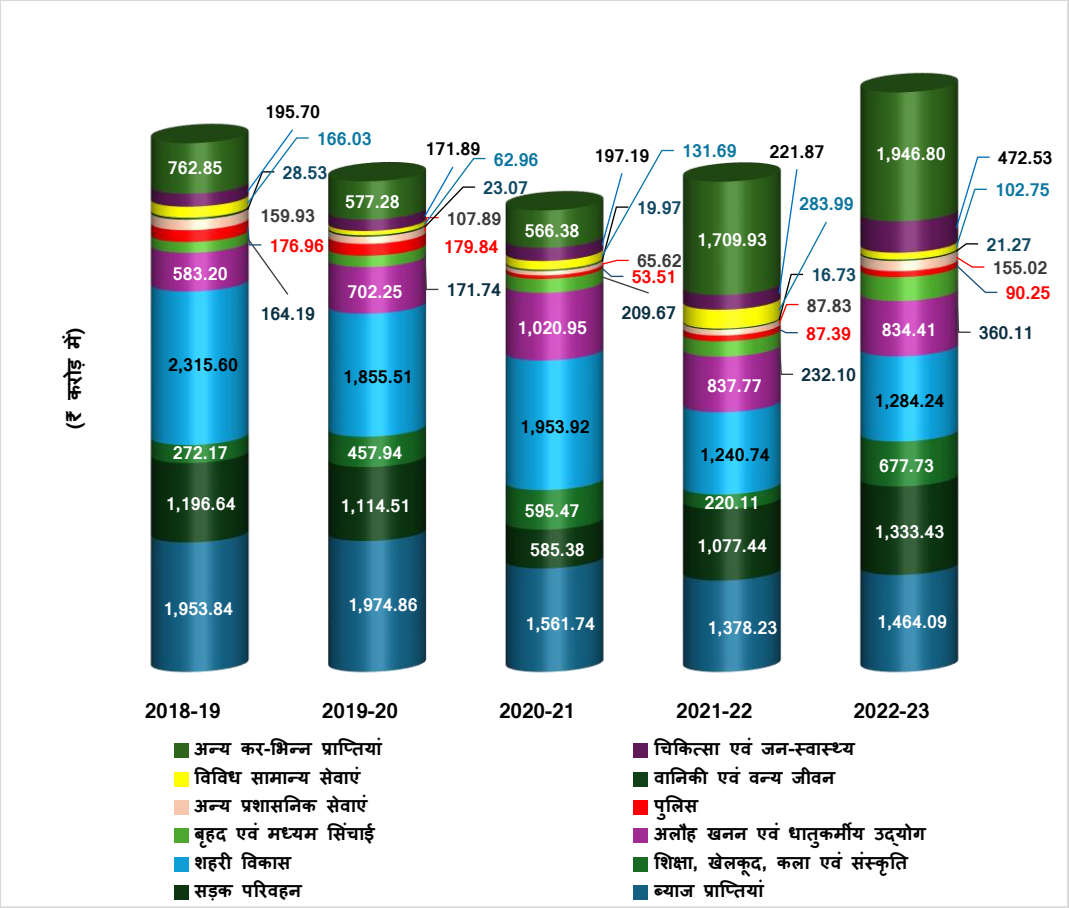

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2022-23 के दौरान कर-भिन्न राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का 9.80 प्रतिशत रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,348.50 करोड़ (18.24 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण सड़क परिवहन, बृहद् एवं मध्यम सिंचाई, अन्य प्रशासनिक सेवाएं और अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में वृद्धि है। कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां (16.75 प्रतिशत), शहरी विकास (14.69 प्रतिशत), सड़क परिवहन (15.25 प्रतिशत) और अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां (22.27 प्रतिशत) मुख्य अंशदाता हैं और कुल कर-भिन्न राजस्व में 68.96 प्रतिशत अंशदान करते हैं।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **शहरी विकास:** 2021-22 की तुलना में 2022-23 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (3.51 प्रतिशत) लाइसेंसों के अधिक नवीनीकरण (2021-22 में 138 से 2022-2023 में 255) और भूमि उपयोग परिवर्तन (सी.एल.यू.) मामलों में फीस एवं प्रभारों के कारण हुई।
- **बृहद् एवं मध्यम सिंचाई:** 2021-22 की तुलना में 2022-23 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (55.15 प्रतिशत) अपरिष्कृत जल की दरों में वृद्धि के कारण हुई।
- **चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य:** 2021-22 की तुलना में 2022-23 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (112.98 प्रतिशत) सहायतानुदान की अव्ययित शेष राशि के अधिक रिफंड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) से ब्याज, अनुबंधों से प्राप्त किराया आदि के कारण हुई।

3.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2023 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 34,173.07 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 10,587.82 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि ***तालिका 3.4*** में उल्लिखित हैं।

तालिका 3.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2023 को बकाया राशि	31 मार्च 2023 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	31,075.87	9,421.34	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 963.72 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 74.27 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 32.77 करोड़ की वसूली व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी, ₹ 105.51 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹ 2,044.33 करोड़ परिशोधन/ समीक्षा/एप्लीकेशन के कारण रोके गए थे। ₹ 3,522.77 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी, ₹ 3,907.94 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लंबित मामलों के कारण ₹ 2,543.38 करोड़ की वसूली बकाया थी। अंतर्राज्यीय बकाया ₹ 396.04 करोड़ था तथा अंतरजिले बकाया ₹ 97.05 करोड़ थे। ₹ 0.21 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 17,387.88 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों में थी।
2	राज्य उत्पाद शुल्क	541.72	261.68	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 17.98 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी। ₹ 52.06 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी, ₹ 65.71 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे, ₹ 0.67 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 134.13 करोड़ अंतर्राज्यीय तथा अंतरजिले बकायों के कारण थे। ₹ 271.17 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
3	बिजली पर कर एवं शुल्क	448.69	187.24	₹ 447.69 करोड़ अंतर्राज्यीय बकायों के कारण थे तथा सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास ₹ एक करोड़ लंबित थे।
4	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	208.11	207.97	₹ 182.65 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लंबित मामलों के कारण ₹ 4.88 करोड़ की वसूली लंबित थी। ₹ 0.07 करोड़ न्यायालय में मुकदमों के कारण लंबित थे, ₹ 0.14 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे तथा ₹ 20.37 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
5	पुलिस	131.13	40.91	₹ 7.38 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (भा.ते.नि.लि.) से देय थे। हरियाणा राज्य में भारतीय तेल निगम लिमिटेड से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.29 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 123.46 करोड़ चुनाव ड्यूटी के लिए तथा कानून व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2023 को बकाया राशि	31 मार्च 2023 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
6	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.11	11.11	₹ 8.53 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी; न्यायालय में लंबित मामलों के कारण ₹ 0.21 करोड़ लंबित थे तथा ₹ 2.37 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
7	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,756.44	457.57	₹ 586.45 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थी, ₹ 39.99 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 0.26 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न किये जाने के कारण ₹ 304.02 करोड़ लंबित थे। अंतरराज्यीय बकाया ₹ 521.72 करोड़ और अंतरजिला बकाया ₹ 231.78 करोड़ थे। ₹ 0.02 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व का बकाया ₹ 0.11 करोड़ था। कार्रवाई के अन्य चरणों में ₹ 72.09 करोड़ की शेष राशि बकाया थी।
	योग	**34,173.07**	**10,587.82**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

3.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर/वैट के संबंध में प्रस्तुत किए गए, ***तालिका 3.5*** में उल्लिखित हैं।

तालिका 3.5: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2021-22	5,036	4,240	9,276	3,096	6,180	33
	2022-23	6,180	4,473	10,653	3,576	7,077	34

स्रोतः राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या पिछले वर्ष के 6,180 मामलों से बढ़कर 7,077 हो गई है। यह भी अवलोकित किया गया है कि 2021-22 से 2022-23 तक मामलों के निपटान की प्रतिशतता एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ बढ़ी है। सरकार, विभाग को सरकारी राजस्व बढ़ाने हेतु इन लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु आवश्यक कदम उठाने का सुझाव दे।

3.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 29 से 31 के अंतर्गत, विभाग को कर अपवंचन का पता लगाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण करना अपेक्षित है। आगे, विभाग नए करदाता की पहचान करने के लिए व्यावसायिक परिसरों का सर्वेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, रोड साइड चेकिंग भी माल के पारगमन के दौरान कर के अपवंचन का पता लगाने का एक साधन है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, ***तालिका 3.6*** में दिए गए हैं।

तालिका 3.6: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2022 को लंबित मामले	2022-23 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/ जांच पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2023 को अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	1	0	1	0	शून्य	1
2	राज्य उत्पाद शुल्क	49	100	149	112	0.85	37
योग		**50**	**100**	**150**	**112**	**0.85**	**38**

स्रोतः राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

2022-23 के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या में कमी हुई।

3.5 रिफंड मामले

वर्ष 2022-23 के आरंभ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड तथा वर्ष 2022-23 के अंत में लंबित मामलों की संख्या ***तालिका 3.7*** में वर्णित हैं।

तालिका 3.7: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	438	140.37	33	2.21
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	393	199.52	122	15.02
3	वर्ष के दौरान किए गए/ समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	614	152.81	118	13.81
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	217	187.08	37	3.42

स्रोतः राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

यद्यपि वर्ष के अंत में बिक्री कर/वैट के संबंध में लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है तथा राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की तुलना में वृद्धि हुई है, लेकिन दोनों मामलों में राशि में वृद्धि हुई है।

चूंकि वस्तु एवं सेवा कर के रिफंड के मामलों के संबंध में विभाग के पास पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं थी, इसलिए लेखापरीक्षा में आंकड़ों की जांच नहीं की जा सकी।

3.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 245 इकाइयों में से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा आबकारी एवं कराधान (राज्य उत्पाद शुल्क) के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 245 इकाइयों की लेखापरीक्षा की जैसाकि ***तालिका 3.8*** में विस्तृत किया गया है।

तालिका 3.8: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	223	223
राज्य उत्पाद शुल्क	22	22
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	शून्य	शून्य
योग	**245**	**245**

आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी तथा विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किए जाने के कारण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। मोटर वाहनों पर कर के मामले में, महामारी के प्रभाव और लेखापरीक्षा शाखा में अनुभाग अधिकारियों की कमी के कारण राज्य में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। अध्याय 4 से 5 में चर्चित अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं।

3.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) तैयार किए जाते हैं, जो संबंधित कार्यालय प्रमुखों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रबंधन-पत्र के रूप में सूचित की जाती हैं।

जून 2023 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि जून 2023 के अंत में 3,140 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 10,384 अनुच्छेद बकाया रहे जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों के साथ ***तालिका 3.9*** में वर्णित है।

तालिका 3.9: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	दिसंबर 2021	जून 2022	जून 2023
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,973	3,053	3,140
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	9,732	9,950	10,384

3.7.1 जून 2023 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विभाग-वार विवरण ***तालिका 3.10*** में वर्णित हैं।

तालिका 3.10: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या
1	**आबकारी एवं कराधान**	बिक्री कर/वैट	434	4,277
		राज्य उत्पाद शुल्क	249	497
		माल एवं यात्रियों पर कर	254	465
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	49	65
2	**राजस्व**	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	1,397	3,874
		भू-राजस्व	174	293
3	**परिवहन**	वाहनों पर कर	467	714
4	**विद्युत**	बिजली पर कर एवं शुल्क	13	22
5	**खदान एवं भू-विज्ञान**	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	103	177
योग			**3,140**	**10,384**

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की वृद्धि इस तथ्य को इंगित करती है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। सरकार निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विभागों की प्रतिक्रियाओं की प्रभावी निगरानी हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करे।

3.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों और निपटाए गए अनुच्छेदों का विवरण ***तालिका 3.11*** में वर्णित है।

तालिका 3.11: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर) और परिवहन विभाग	9	531	46.74

3.7.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा उपलब्धियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने और छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों के अंत में दर्शाया जाता है।

अप्रैल तथा दिसंबर 2024 के मध्य संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के पास कुल 16 प्रारूप अनुच्छेद भेजे गए थे। इन मामलों में सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, संबंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में सही स्थानों पर उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

3.7.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में पुनः दोहराए गए निर्देशों के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के अंदर सरकार द्वारा लोक लेखा समिति के विचार हेतु इस पर कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन II पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, जिसमें एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा सहित 18 अनुच्छेद शामिल थे, को 10 मार्च 2025 को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा गया था, जिसके लिए कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

परिशिष्ट 3.1 और ***परिशिष्ट 3.2*** में यथा उल्लिखित लोक लेखा समिति की 22वीं से 90वीं रिपोर्ट में निहित 1979-80 से 2020-21 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 1,004 सिफारिशें संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में लंबित थी।

3.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का उत्तर देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 3.8.1 से 3.8.2 में आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) के निष्पादन पर चर्चा की गई है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है।

3.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2023 को उनकी स्थिति ***परिशिष्ट 3.3*** में उल्लिखित है।

31 मार्च 2023 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2013-14 में 307 से बढ़कर 2022-23 में 432 हो गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2013-14 में 1,672 से बढ़कर 2022-23 में 4,226 हो गई है। इस अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) और परिवहन विभाग के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की नौ बैठकें (ए.सी.एम.) आयोजित की गई तथा ₹ 46.74 करोड़ की राशि के 531 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था।

3.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूल की गई राशि की स्थिति ***परिशिष्ट 3.4*** में दी गई है।

गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति (7.95 प्रतिशत) कम थी। विभाग स्वीकृत मामलों में देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करे।

3.9 लेखापरीक्षा योजना

हरियाणा राज्य में कुल 393 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2022-23 के दौरान 138 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

3.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से संबंधित 117 यूनिटों[6] (राजस्व 115 + व्यय 2) के अभिलेखों की वर्ष 2022-23 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,516 मामलों में कुल ₹ 260.24 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 1,980 मामलों में आवेष्टित ₹ 79.04 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने वर्ष 2022-23 के दौरान 11 मामलों में ₹ 0.04 करोड़ वसूल किए थे।

3.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 71.53 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से आवेष्टित 16 प्रारूप अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 71.53 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 1.07 करोड़ वसूल कर लिए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 4 और 5 में चर्चा की गई है।

[6] स्थानीय लेखापरीक्षा से संबंधित 21 इकाइयों को छोड़कर।